राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांकः प.8(1)राज/वाद/19 जयपुर, दिनांक 27-6-22

:आदेशः

विधि विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.05.22 द्वारा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं01, अजमेर/ बालोतरा/ सं01 बारां/ सं01 बीकानेर/ चूरू/ पाली/ राजसमंद/ सं01 उदयपुर को नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्स्टेन्सेज एक्ट, 1985(सन् 1985 का केन्द्रीय अधिनियम सं061) की धारा 36 की उपधारा (1) एवं (2) के अधीन उत्पन्न मामलों में विचारण करने हेतु विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया है एवं इन न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन उत्पन्न मामलों में विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया है।

अतः विधि विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.05.22 द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्स्टेन्सेज एक्ट, 1985(सन् 1985 का केन्द्रीय अधिनियम सं061) की धारा 36 की उपधारा (1) एवं (2) के अधीन उत्पन्न मामलों में विचारण करने हेतु विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय में अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं01, अजमेर/बालोतरा/सं01 बारां/सं01 बीकानेर/चूरू/पाली/राजसमंद/सं01 उदयपुर को उक्त अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में राज्य की ओर से पैरवी करने हेतु विशेष लोक अभियोजक की शक्तियां एतत्द्वारा प्रदत्त की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह०
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2 विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3 मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4 संबंधित अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
5 जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, अजमेर/बालोतरा/बारां/बीकानेर/चूरू/पाली/राजसमंद /उदयपुर।
6 निदेशक अभियोजन, शासन सचिवालय, जयपुर।
7 संयुक्त शासन सचिव, वित (व्यय—5) विभाग।
8 संबंधित कार्यालय।
9 सहायक लेखाधिकारी—प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
10 प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर ई—गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
11 रक्षित पत्रावली।

27/6/2022
(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि